

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 24-6-2017

बैठक स्थगन सूचना

विभागीय समसंख्यक बैठक सूचना दिनांक 12.06.2017 के क्रम में लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की गत वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मई 2017 की प्रगति की समीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून, 2017 को इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की आयोजित बैठक अपरिहार्य कारणों से आगामी सूचना तक स्थगित की जाती है।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, महानरेगा।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
5. अति. आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त सचिव, महानरेगा।
7. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/पंचायतीराज/महानरेगा।
8. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी-I एवं एसएपी-II/मो. एवं मू।
9. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण, योजना भवन, जयपुर।
11. नोडल अधिकारी, (एमपावर)।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान को भेजकर लेख है कि बैठक अपरिहार्य कारणों से आगामी सूचना तक स्थगित की जाती है।
13. अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक (मोनेटरिंग), पंचायतीराज विभाग।
15. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
16. एसपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)